

कार्यालय अधिषाषी अभियन्ता सा. नि. वि. खण्ड शाहाबाद जिला बारां

ईमेल :- pwd_shahabad@rediffmail.com

क्रमांक 664

दिनांक 01.09.2023

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
बारां।

विषय:- EDS Reply

कार्य का नाम:- Construction of Widening of Ramgarh Mataji Parikrama Road.

प्रस्ताव सं.- FP/RJ/Road/34310/2018

प्रसंग:- श्रीमान् का पत्रांक एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2022-23/8514

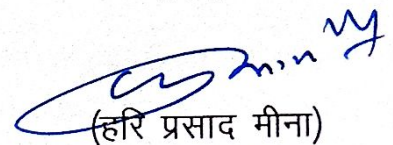
दिनांक 28.08.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रस्ताव में लगाये गये आक्षेपों की पूर्ति बिन्दुवार निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	बिन्दु	प्रतिउत्तर
1.	प्रस्तावित रामगढ़ माताजी परिक्रमा रोड़ निर्माण से प्रभावित होने वाले पेड़ों की संख्या 4733 बतायी गयी है, किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कितने पेड़ों का दोहन किया जावेगा, स्पष्ट नहीं किया है।	कम से कम पेड़ों का दोहन किया जायेगा, केवल 100 पेड़ों का ही दोहन किया जायेगा।
2.	क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित गैर वनभूमि खसरा नं. 232, 233 तथा 244 व खसरा नम्बर 81 दो टुकड़ों में प्रस्तावित की गई है। नक्शे में दोनों टुकड़ों पर 9.06 है० अंकित है। नक्शे पर अंकित सारणी में खसरा नम्बर 323 व 244 की भूमि ही अंकित है। स्थिति स्पष्ट करें।	क्योंकि प्रस्ताव 9.06 है० के लिए है, अतः प्रस्तावित खसरा 232, तथा 244 व खसरा नं. 81 की भूमि 9.06 (AREA-6.76 IN K. N.O 232 AND 2.072 IN K. N.O 244, AREA-0.228 IN K.NO. 81) है० इसलिए खसरा नं. 244 की भूमि का अंकन इस प्रस्ताव से नहीं हटाया जायेगा।
3.	साइट निरीक्षण रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रत्यावर्तित वनभूमि का स्टेटस सही अंकित नहीं किया गया है। कंजर्वेशन रिजर्व में होने संबंधित विवरण इसी में अंकित किया जावें।	यह श्रीमान् उप वन संरक्षक बारां से सम्बन्धित है।

भवदीय



(हरि प्रसाद मीना)
अधिषाषी अभियन्ता
सा.नि.वि. खण्ड शाहाबाद